भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दक्षिणी जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

15 जुलाई, 2021

आदिवासी हितैषी सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु नहीं, फासीवादी भाजपानीत केन्द्र सरकार और कसाई एनआईए द्वारा की गई सुनियोजित हत्या है

अमर शहीद फादर स्टेन स्वामी को हूल जोहार!

जग जाहिर है कि आदिवासी हितैषी सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी पर भीमा-कोरेगांव मामले में फर्जी आरोप लगाकर एनआईए ने 8 अक्टूबर, 2020 को रांची से गिरफ्तार कर नवी मुंबई की तलोजा जेल में डाल दिया था। केन्द्र सरकार के निर्देशन में एनआईए ने उसे जेल में मार डालने के लिए उनके जमानत को रद्द करते गया और जेल में उन्हें पाशविक यातनाएं दिये गये। ठंड में गर्म कपड़े पहनने, पार्किंसंस के चलते स्ट्रॉ से पानी पीने तक की उन्हें जेल में मंजुरी नहीं मिली। दस महीने से बीमार थे। पार्किंसंस , हर्निया, सुनने में थी तकलीफ, कई बार गिरने से मल्टीपल फ्रैक्चर के बाद अस्पताल में भर्ती कराये गये थे। आखिरकार कसाइयों ने उनको मार ही डाले। दिनांक 05/07/2021 को 84 वर्षीय स्टेन स्वामी ने अंतिम सांस त्याग दिये।

भाकपा (माओवादी) की दक्षिणी जोनल कमेटी केन्द्र सरकार और एनआईए द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत स्टेन स्वामी की बर्बरतापूर्ण हत्या की कड़ी निन्दा व तीव्र भर्त्सना करती है। साथ ही दक्षिणी जोनल कमेटी अमर शहीद स्टेन स्वामी को भवभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके शोक-संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

1937 में तमिलनाडु के त्रिची में जन्मे स्टेन स्वामी अपने युवा उम्र में जेसुइट बने और 1957 से पूर्णरूप से वंचितों और गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिये थे। उसी समय से वे अपना जीवन आदिवासी, दलित और वंचितों के अधिकारों पर काम करने में बिताया। वे पहली बार 1965 में झारखण्ड के चाईबासा क्षेत्र में आये और तबसे झारखंड के ही बन गये। कुछ सालों बाद उन्होंने मनिला, फिलीपींस में समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर प्राप्त किया। उसके बाद वे वापस आकर कोल्हान के हो आदिवासियों की जीवन दृष्टि और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। सामाजिक व्यवस्था और उसके आंकलन को बेहतर समझने के लिए वे 1974 में बेल्जियम में पढ़ने गये। वहां उन्हें पीएचडी करने का मौका मिला, लेकिन सामाजिक बदलाव को प्राथमिकता देते हुए वे भारत वापस लौट आये। उसके बाद 15 सालों तक स्टेन ने बेंगलुरू के प्रसिद्ध शोध संस्थान इंडियन सोशल इंस्टिट्यूट (ISI) में काम किया। यहां उन्होंने सैकड़ों युवाओं को वैज्ञानिक रूप से सामाजिक समस्याओं के आंकलन पर प्रशिक्षित किया और जमीनी स्तर पर लोगों को मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पिछले तीन दशकों से स्टेन जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों के संवैधानिक हक के लिए अडिग रहे हैं। उन्होंने विस्थापन, कॉरपोरेट द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की लूट और विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर बेहद शोधपरक काम किया है। वे विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन संगठन का निर्माण कर विस्थापन के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिये। 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' दमन अभियान का भी उन्होंने मुखर विरोध किया। वे 2016 में भाजपानीत रघुवर दास सरकार द्वारा सीएनटी-एसपीटी कानून एवं भूमि अधिग्रहण कानून में किये गये संशोधनों का लगातार मुखरता से विरोध किये थे। उन्होंने रघुवर दास सरकार द्वारा गांव की जमीन को लैंड बैंक में डाल कर कॉरपोरेट के हवाले करने की नीति की भी जमकर विरोध किया था। वे लगातार संविधान की 5वीं अनुसूची एवं पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए भी अभियान चलाये थे। इन सभी मुद्दों से जुड़े विभिन्न जन आन्दोलनों और अभियानों में उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। आदिवासी-मूलवासियों की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था ग्रमसभा में उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने भूख से मौत, आधार की समस्याएं व साम्प्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दों को भी मुखरता से उठाया था।

इस तरह स्टेन स्वामी जिन्दगीभर आदिवासियों, दलितों और वंचितों के अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते रहे। केन्द्र व राज्य सरकार की जन विरोधी, आदिवासी व दलित विरोधी कानूनों का मुखर विरोध करते आ रहे थे। इसी के परिणामस्वरूप ही उन्हें भीमा-कोरेगांव केस जो मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित एक आधारहीन और फर्जी है उसमें फंसाया गया। इस केस का उद्देश्य ही है देश के शोषित-उत्पीड़ित आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और मेहनतकश अवामों के हक की आवाज उठाने वाले और सरकार की जन विरोधी नीतियों पर सवाल उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को सबक सिखाना। भाजपानीत मोदी सरकार पूरी तरह जन विरोधी और कॉरपोरेट परस्त है। जनता के हक-अधिकार की बात करने वालों को मोदी सरकार अपना दुश्मन मानते हुए किसी भी हद तक जाकर षड्यंत्र कर सकती है। वर्तमान में शोषण-दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ तथा आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और मेहनतकशों के अधिकार की आवाज उठाने वालों को माओवादी करार देकर दमन करना आम बात बन गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित सभी प्रकार के जनवादी अधिकारों को मोदी सरकार बूटों तले रौंद रही है।

दूसरी बार केन्द्र में फासीवादी भाजपा सत्तारूढ़ होने के बाद से पूरे तानाशाही रवैया अपनाते हुए मनमानी ढंग से एक के बाद एक जन विरोधी कानूनों- नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए, प्रस्तावित एनआरसी, एनआरपी को विपक्षी पार्टियों सहित पूरे देश की जनता द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद पारित करने, जम्मू-कश्मीर के जनता का मत लिये बगैर वहां सेना तैनात कर व कार्फ्यू लागू कर संविधान की धारा 370 और 35-ए को खत्म कर कश्मीरी जनता की आजादी को छीनने, किसान विरोधी तीन कृषि कानून, मजदूर विरोधी श्रम कानून, गरीब व मेहनतकश घराने के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश के तहत नई शिक्षा नीति आदि को लागू कर रही है।

जबकि तथाकथित लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों व व्यक्तियों के विरोधी मतों और असहमति को मान्यता देना ही लोकतंत्र या प्रजातंत्र के शासन की विशेषता है। आज हिन्दुत्ववादी फासिस्ट भाजपा कथित लोकतंत्र का गला घोंट रही है और फासीवादी हिटलरशाही चला रही है तथा विरोधी सुरों को दबाने के लिए मानवाधिकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, कलाकारों, वकीलों के ऊपर फासीवादी बर्बर हमले चला रही है। स्टेन स्वामी सहित दर्जनों बुद्धिजीवियों को साजिश के तहत भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार करके यातनागृह में कैद करके रखा गया है और वहां उन्हें शारीरिक व मानसिक यातनाएं देकर मार डालने का काम जेल प्रशासन पूरा कर रहा है तथा न्यायालय केस के फैसले को टालते हुए विलम्ब करके उसकी मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। न्यायालय अपने इस कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए निर्दोष विचाराधीन बंदी के मारे जाने के बाद न्यायधीश महोदय द्वारा अपनी सफाई पेश करना व मृतक के प्रति दिखावा संवेदना व्यक्त करना या उसकी प्रसंशा करना जानेमाने परम्परागत ढोंग व नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं।

भाकपा (माओवादी) की दक्षिणी जोनल कमेटी मानती है स्टेन स्वामी की मृत्यु नहीं, सुनियोजित साजिश के तहत संस्थागत हत्या हुई है। स्टेन स्वामी की हत्या लोकतंत्र व जनवाद पर फासीवादी हमला है। अत: दक्षिणी जोनल कमेटी इस फासीवादी हमले के खिलाफ किसान-मजदूरों, छात्रों-छात्राओं, नौजवानों, मानवाधिकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, कलाकारों को एकजुट होकर देशव्यापी जनप्रतिवाद-जनप्रतिरोध आन्दोलन को तेज करने तथा स्टेन स्वामी के हत्यारों को जबतक सजा नहीं दी जाती है तबतक आन्दोलन को जारी रखने का आह्वान करती है।

प्रवक्ता

दक्षिणी जोनल कमेटी, भाकपा (माओवादी)